पुनर्गठन
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(36)पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/03 जयपुर, दिनांकः 10.01.2025

ज़िला कलेक्टर,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः– पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में परिवर्तन।

राज्य की ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों की सीमाओं में परिवर्तन व नवसृजन के लिये सभी ज़िला कलेक्टर्स को अधिसूचना क्रमांक 02 दिनांक **10.01.2025** के द्वारा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–9, 10 व 101 की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जा चुका है। जिसके क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकडों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किये जायें। जिसके लिए प्रक्रिया एवं मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैंः–

1.1 ग्राम पंचायतों हेतुः–

1. पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु न्यूनतम जनसंख्या **3,000** एवं अधिकतम **5,500** रखी जाये।

   राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 दिनांक 19 मई, 2018 में वर्णित क्षेत्रों (जिसकी प्रति संलग्न है।) सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय ज़िलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए ग्राम पंचायत की न्यूनतम जनसंख्या **2,000** एवं अधिकतम **4,000** रखी जाये।

2. किसी ग्राम के निवासियों की मांग और प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे ग्रामों को वर्तमान ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में सम्मिलित किया जा सकता

है, परन्तु उस ग्राम की दूरी नई ग्राम पंचायत के मुख्यालय से 6 किमी से अधिक की नहीं हो।

3. राज्य के अनुसूचित एवं मरूस्थलीय क्षेत्रों के लिए दूरी का निर्धारण करने हेतु ज़िला कलेक्टर प्रशासनिक एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

4. किसी भी राजस्व ग्राम को विभाजित कर दो पंचायतों में नहीं रखा जायेगा, सम्पूर्ण राजस्व ग्राम एक ही पंचायत में रहेगा।

5. यह भी ध्यान रखा जावे कि नवसृजित/पुनर्गठित ग्राम पंचायत का क्षेत्र पूरा एक ही विधान सभा क्षेत्र में हो, न कि एक से अधिक विधान सभा क्षेत्र में।

1.2 पंचायत समितियों हेतु :–

1. पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के प्रस्ताव तैयार करने हेतु **40** एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक संख्या तथा **2.00** लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जाये, किन्तु पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम **25 ग्राम पंचायतें** रखी जायें।

   राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 दिनांक 19 मई, 2018 में वर्णित क्षेत्रों (जिसकी प्रति संलग्न है।) सहरिया क्षेत्र (किशनगंज एवं शाहबाद) एवं चार मरूस्थलीय ज़िलों बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर के लिए 40 एवं उससे अधिक ग्राम पंचायतों की संख्या से अधिक संख्या तथा 1.50 लाख या उससे अधिक आबादी वाली पंचायत समितियों को पुनर्गठित किया जावे, किन्तु पुनर्गठित/नवसृजित पंचायत समिति में न्यूनतम 20 ग्राम पंचायतें रखी जावे ।

   उदाहरणार्थः किसी पंचायत समिति में 42 ग्राम पंचायतें होने की दशा में नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें व अन्य में 17 ग्राम पंचायतें होंगी तो ऐसी स्थिति में ज़िला कलेक्टर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुकूल होने पर उसके नजदीक की किसी एक या एक से अधिक पंचायत समितियों में से 8 ग्राम पंचायतें लेकर 17 ग्राम पंचायतों वाली पंचायत समिति में 25 ग्राम पंचायतें रख सकेंगे। यदि ऐसा किया जाना संभव नहीं हो तो नवसृजित एक पंचायत समिति में 25 से कम ग्राम पंचायतें भी रखी जा सकती हैं।

2. जनसुविधा व प्रशासनिक दृष्टिकोण से नवसृजित व पुनर्गठित होने वाली पंचायत समितियों में नजदीक की ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जा सकता है। परन्तु किसी ग्राम पंचायत को विभाजित कर दो पंचायत समितियों में नहीं रखा जायेगा।

2. उपर्युक्तानुसार निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिए निम्नानुसार दिशा–निर्देशों की पालना की जाये :–

2.1 बिन्दु संख्या 1.1 व 1.2 के अनुसार प्रस्तावों का पूर्ण विवरण देते हुए उनका प्रकाशन नीचे दी गई समय–सारिणी में अंकित निर्धारित अवधि तक आवश्यक रूप से करवाया जाये।

2.2 इन प्रस्तावों का प्रदर्शन ज़िला कलेक्टर कार्यालय, ज़िला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक अवलोकन के लिए प्रकाशन किया जाये। जिस ग्राम पंचायत की वर्तमान सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होना है तो इस परिवर्तन से प्रभावित संबंधित ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर भी उनसे संबंधित प्रस्ताव का प्रकाशन करवाया जाये। उपरोक्त के अलावा भी ज़िला कलेक्टर अन्य प्रचार–प्रसार माध्यमों से भी प्रस्तावों को प्रचारित कर सकते है।

2.3 प्रदर्शित प्रस्तावों में जन साधारण को स्पष्ट रूप से यह सूचना दी जानी चाहिये कि वे इन प्रस्तावों के संबंध में अपनी आपत्तियां एवं सुझाव ज़िला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार को प्रकाशन तिथि से 30 दिवस तक की अवधि में प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.4 प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात, ज़िला कलेक्टर अपनी अभिशंषा के साथ नीचे दी गई समय–सारिणी में वर्णित समय सीमा तक समस्त प्रस्ताव (ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों)पंचायती राज विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें।

2.5 ज़िला कलेक्टर्स द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि उनके द्वारा पंचायती राज विभाग को प्रेषित किये गये समस्त प्रस्तावों के संबंध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–101 के तहत कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

2.6 जिन ग्राम पंचायतों के आंशिक क्षेत्रों को नगरीय निकायों(नवगठित नगर पालिकाओं) में सम्मिलित किया गया है, उनके ऐसे क्षेत्र/राजस्व ग्राम जो शेष रह गये हैं को समीप की किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा यदि ऐसे शेष रह गये क्षेत्र/राजस्व ग्राम जनसंख्या के मानदण्ड के अनुरूप नवीन ग्राम

पंचायत के गठन की सीमा में आ रहे हों तो नवीन ग्राम पंचायत बनाये जाने के प्रस्ताव भी तैयार किये जायें।

3. ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम नीचे दी गई समय–सारिणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है:–

ज़िला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के प्रस्ताव तैयार करना	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत तैयार प्रस्तावों को प्रकाशित कर आपत्तियां आमंत्रित करना	ड्राफ्ट प्रस्तावों के संबंध में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करना	आपत्ति निस्तारण पश्चात प्रस्ताव तैयार कर पंचायती राज विभाग को भिजवाना
30 दिवस (20 जनवरी से 18 फरवरी, 2025 तक)	**30 दिवस** (20 फरवरी से 21 मार्च, 2025 तक)	**10 दिवस** (23 मार्च से 01 अप्रैल, 2025 तक)	**12 दिवस** (3 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2025 तक)

4. यह उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों दोनों ही संस्थाओं के पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन का कार्य उपरोक्त निर्धारित समयावधि में साथ–साथ समानान्तर किया जाना है। अतः आपको सुझाव दिया जाता है कि आप अपने–अपने ज़िले में पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव साथ–साथ तैयार कर लेवें तथा जैसे ही ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों को आप प्रकाशन हेतु अंतिम रूप देंगे उसी समय जिस–जिस पंचायत समिति में नई ग्राम पंचायतों की संख्या में प्रस्तावों के अनुरूप वृद्धि हो रही हो तो उसी अनुरूप पंचायत समितियों के पुनर्गठन के प्रस्ताव में भी उसे सम्मिलित कर लेवें।

5. मानदंडों के आधार पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी की निगरानी में तहसीलदार व पटवारी के सहयोग से ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करवा कर जन साधारण से इन प्रस्तावों बाबत् आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु नोटिस का प्रकाशन दिनांक **20.2.2025** से करवाया जाये। आपत्तियां आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित करवाये जाने वाले नोटिस का प्रारूप आपकी सुविधा के लिए **परिशिष्ट–"क"** एवं **"ख"** पर संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। प्रकाशित करवाये जाने वाले नोटिस की प्रति विभाग को भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. उपरोक्तानुसार नोटिस प्रकाशन के पश्चात् जैसे ही आपत्तियां प्राप्त हों, उनका परीक्षण कर नियमानुसार निस्तारण भी किया जा सकता है। प्राप्त होने वाली आपत्तियों को एक साथ सम्मिलित रूप से नोटिस के 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही परीक्षण कर निस्तारण किया जाना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार प्राप्त सभी आपत्तियों के लिए प्रत्येक आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना अपरिहार्य नहीं है। यदि किसी आपत्ति का व्यक्तिगत सुनवाई के अभाव में निस्तारण किया जाना संभव नहीं हो तो मात्र ऐसे प्रकरणों में ही व्यक्तिगत सुनवाई की जाये।
7. यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आपके द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करने के पश्चात् समस्त प्रस्ताव दिनांक **15 अप्रैल, 2025** तक आवश्यक रूप से पंचायती राज विभाग को भिजवाये जाने हैं।
8. उपरोक्तानुसार आप द्वारा विभाग को प्रस्ताव मंगल फोन्ट (Mangal Font) में ही सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें।
9. नवसृजित ग्राम पंचायत का मुख्यालय उस ग्राम में यथा सम्भव रखा जाये जिस ग्राम तक आवागमन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, ग्राम पंचायत के अन्य सभी ग्रामों से सम्पर्क आसानी से हो, ग्राम में सरकारी कार्यालयों यथाः विद्यालय, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पटवार भवन, किसान सेवा केन्द्र व अन्य सरकारी कार्यालय हो अथवा इनके लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
10. समयबद्ध कार्यक्रमानुसार आपको **दिनांक 03 अप्रैल से 15 अप्रैल, 2025** तक की अवधि में तैयार किये गए प्रस्ताव(आपत्ति निस्तारण पश्चात) विभाग को भिजवाये जाने हैं। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि विभाग को इस पत्र के साथ संलग्न सारिणीयों के प्रारूप में सूचना/प्रस्ताव(**मय नक्शे जिसमें पुनर्गठित/नवसृजित प्रस्तावित पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का वर्तमान नक्शा तथा प्रस्ताव के पश्चात परिवर्तित नक्शा दोनों सम्मिलित हों**) निम्नानुसार भिजवाये जाने हैं:–

सारिणी	भिजवाई जाने वाली सूचना का विवरण	सॉफ्ट कॉपी हेतु निर्धारित फोन्ट
सारिणी–1	प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण संबंधित जानकारी	Devlys Font
सारिणी–2	नोटिस प्रकाशन एवं इसके पश्चात आपत्तियों के निस्तारण पश्चात नवसृजित/पुनर्गठित पंचायत समिति/ग्राम पंचायतों की संख्या	Devlys Font
सारिणी–3	पंचायत समितियों बाबत पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन/नवसृजन	मंगल फोन्ट (Mangal Font)

	के प्रस्ताव	
सारिणी–4	ग्राम पंचायतों बाबत पुनर्गठन / पुनर्सीमांकन / नवसृजन के प्रस्ताव	मंगल फोन्ट (Mangal Font)

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रपत्रों में समस्त वांछित जानकारी / प्रस्ताव(मय उपरोक्तानुसार वर्णित नक्शों) की **5–5 प्रतियां हार्ड कॉपी में एवं सॉफ्ट कॉपी (जिसमें सारिणी–3 एवं सारिणी–4 के प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक रूप से मंगल फोन्ट (Mangal Font) में ही भिजवाई जाये, अन्य फोन्ट में होने की स्थिति में प्रस्ताव विभाग द्वारा नहीं लिये जायेंगे)**

11. पुनर्गठन के कार्य हेतु आप अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करते हुए उनके मोबाईल नम्बर कार्यालय व आवास के लैण्डलाईन नंबर एवं ई–मेल–आई डी इस विभाग को आवश्यक रूप से panchayatirajlegal@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
12. पुनगर्ठन का कार्य सम्पन्न होने तक आप यह भी सुनिश्चित करावें कि इस कार्य हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं ज़िला कलेक्टर स्वयं के ई–मेल तथा पंचायती राज विभाग की वेबसाइट https://rajpanchayat.rajasthan.gov.in प्रतिदिन अवलोकन किया करें।
13. उक्त पुनर्गठन कार्य हेतु राज्य स्तर पर पंचायती राज विभाग के संस्थापन अधिकारी श्री बी0डी0 कृपलानी (मोबा. नं. 9414251727 एवं ई–मेल आई.डी. panchayatirajlegal@gmail.com) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

10.01.2025

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद, राजस्थान।
13. एसीपी कम उप निदेशक, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
उप शासन सचिव(प्रथम)

परिशिष्ट–"क"

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत आपत्तियां आमंत्रित किये जाने बाबत् प्रकाशित किये जाने वाले नोटिस का प्रारूप

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(36) पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/02 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को प्रयोगार्थ प्रत्यायोजित कर दी गई है।

अतः मैं जिला कलेक्टर.....उक्त अधिनियम की धारा 9 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन/पुनर्गठन/नवसृजन करने का विचार रखता हूं जिसका निम्नलिखित प्रारूप के प्रकाशित होने के एक माह की अवधि अर्थात ..... मार्च, 2025 तक जन साधारण से आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु एतद् द्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

पंचायत समिति.....								
क्र सं.	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत की जनसंख्या	वर्तमान ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	वर्तमान ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों की ग्रामवार जनसंख्या	प्रस्तावित ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों के नाम	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित ग्रामों की ग्रामवार जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9

परिशिष्ट–"ख"

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 101 के तहत आपत्तियां आमंत्रित किये जाने बाबत् प्रकाशित किये जाने वाले नोटिस का प्रारूप

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 15(36) पुनर्गठन/विधि/पंरा/2024/02 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 9, 10 एवं 101 में वर्णित शक्तियों को संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को प्रयोगार्थ प्रत्यायोजित कर दी गई है।

अतः मैं जिला कलेक्टर,.....उक्त अधिनियम की धारा 10 एवं 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के पुनर्सीमांकन/पुनर्गठन/नवसृजन करने का विचार रखता हूँ, जिसका निम्नलिखित प्रारूप के प्रकाशित होने के एक माह की अवधि अर्थात..... मार्च, 2025 तक जन साधारण से आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु एतद् द्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है।

उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा।

क्र सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित		प्रस्तावित पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	प्रस्तावित पंचायत समिति में सम्मिलित	
		ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या (वर्ष 2011)		ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या (वर्ष 2011)
1	2	3	4	5	6	7

सारिणी–1

क्र0 सं0	प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों की संख्या	निस्तारित की गई आपत्ति/सुझावों की संख्या			विशेष विवरण
		स्वीकार की गई आपत्ति/सुझावों की संख्या	अस्वीकार की गई आपत्ति/सुझावों की संख्या	कुल संख्या	
1	2	3	4	5	6

सारिणी–2

क्र0 सं0	धारा–101 के तहत आपत्ति आमंत्रण नोटिस प्रकाशन में प्रस्तावित				आपत्ति/सुझावों के निस्तारण पश्चात				विशेष विवरण
	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या	पुनर्गठित पंचायत समितियों की संख्या	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या	पुनर्गठित ग्राम पंचायतों की संख्या	नवसृजित पंचायत समितियों की संख्या	पुनर्गठित पंचायत समितियों की संख्या	नवसृजित ग्राम पंचायतों की संख्या	पुनर्गठित ग्राम पंचायतों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सारिणी–3

क्र सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	वर्तमान पंचायत समिति में सम्मिलित		पंचायत समिति मुख्यालय से दूरी	प्रस्तावित पंचायत समिति का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	प्रस्तावित पंचायत समिति में सम्मिलित		पंचायत समिति मुख्यालय से दूरी	विशेष विवरण
		ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)			ग्राम पंचायतों के नाम	ग्राम पंचायतों की जनसंख्या (जनगणना वर्ष 2011)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

सारिणी–4

पंचायत समिति.....									
क्र सं	वर्तमान ग्राम पंचायत का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	वर्तमान ग्राम पंचायत में सम्मिलित			प्रस्तावित ग्राम पंचायत का नाम, मुख्यालय एवं जनसंख्या	प्रस्तावित ग्राम पंचायत में सम्मिलित			विशेष विवरण
		ग्रामों के नाम	ग्रा0 पं0 मुख्यालय से दूरी	जनसंख्या		ग्रामों के नाम	ग्रा0 पं0 मुख्यालय से दूरी	जनसंख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940
No. 325] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव तथा गोगून्दा तहसील।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोडों का गुढ़ा, बान्दरवाड़ा, घोडान कलां, घोडान खुर्द और कायलों का गुढ़ा ग्राम,

(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, झालों का गुढ़ा तथा मुणवास ग्राम,

(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढ़ा तथा सारे ग्राम,

(IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढ़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली तथा बड़ा ग्राम,

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उबेश्वरजी, धार, बडंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढ़ा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(I) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोबा ग्राम,

(II) धावडिया ग्राम पंचायत के धावडिया, खेड़ाफला, नागलिया, रानी डूंगला और राणिया ग्राम,

(III) भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के भोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,

(IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढ़ा और बारां ग्राम,

(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावदा ग्राम,

(iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोंवास और कोदार ग्राम,

(iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाड़िया ग्राम,

(v) बरदड़ा ग्राम पंचायत के बरदड़ा, उदावड़, कलथाना और कोटड़ा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढ़ा, गामेठों का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुंजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुढ़ा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम ।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौडगढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाब, लिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सबलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावडिया ग्राम,

(ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टेगडियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,

(घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, ढीकडिया खेडी, पूजां का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाब ग्राम,

(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूण्डी, गढ़ बोरूण्डी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदड़ा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,

(ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोतीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,

(ग) गोरिया ग्राम पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,

(घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,

(ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरड़ी ग्राम,

(च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

(ज) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,

(झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

(क) आबूरोड़ तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, साबेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,

(iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गड़िया और पहाड़ कलां ग्राम,

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,

(vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,

(vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,

(viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,

(x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,

(xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,

(xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है ।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]
डॉ.रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव